न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 26 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. कुशाल पिता तलोक गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नानुराम पिता तलोक गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शंकरलाल पिता तलोक गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता उदयराम गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नगजीराम पिता उदयराम गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सेजराम पिता किशना गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. रूपालाल पिता किशना गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नाथू पिता किशना गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. हजारी पिता नाथू गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. शांतिलाल पिता नगजीराम गाडरी, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
30.10.2012 प्रकरण सं. 136 / 2010

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री एस.के. मेहता अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 6

———::———

निर्णय **दिनांक 18–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 1528, 1529 एवं 1530 ग्राम कोटडी में स्थित है, जो आबादी के पास स्थित होने से वादीगण ने अपनी आराजी नंबर 1529 में घास भरने के लिए कमरा बना रखा है, जिसके उत्तरी तरफ दीवार पक्की है तथा पक्की दीवार के सहारे आराजी न ंबर 1530 में मवेशी बांधने के लिए ढालिया बना होकर केवल छत बना रखी है, जिसमें वादीगण के मवेशी बंधते हैं। आराजी नंबर 1528 में वादी ने फसल बो रखी है एवं नया घास वादीगण ने डाला है तथा दो रोडिया भी बना हुई तथा लकडिया भी पड़ी हुई हैं। उक्त आराजी के पश्चिम छोर पर वादीगण के रास्ते के बाद आराजी नंबर 1536 है, जिसको भी बाड़े के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, किन्तु अभी कुछ दिन पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच झगड़ा हो गया, जिससे प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गयी तथा वे वादीगण को धमकियां देने लगे एवं कहने लगे की फसल नष्ट कर देंगे एवं घास नष्ट कर देंगे। वादीगण अपनी भूमि का साधिकार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतएवं आराजी नंबर 1528, 1529 एवं 1530 के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद के खण्डन का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 1528 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है तथा आराजी नंबर 1529 वादी संख्या 3 के स्वामित्व व आधिपत्य की है, जिन पर निरन्तर उनका कब्जा चला आ रहा है। आराजी नंबर 1530 में प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का ढालिया बना हुआ है तथा घास व खेती का सामान पडा हुआ है। उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण काबिज होकर लगान भर रहे हैं। काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया

कि आराजी नंबर 1530 का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को तथा आराजी नंबर 1528 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम के खण्डन का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी मुतनजा आराजी का खातेदार है प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का हकदार है ?.....वादी
2. आया मुतनजा आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा है व प्रतिवादी ही खातेदार है ?.....प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–11–2004 को निम्नानुसार 4 अतिरिक्त तनकियात भी कायम की गयी :–

1. आया वादी खातेदार काश्तकार होकर विवादित आराजियात पर कब्जा है तथा वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया वादी को वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है अतः दावा चलने योग्य नहीं है ? ..... प्रतिवादी
3. आया वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी वादी की पड़त होकर प्रतिवादी खातेदार काश्तकारी घोषित करने का अधिकारी है ?.....प्रतिवादी
4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों सबूतों के आधार पर बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 30–10–2012 से वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–04–2017 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय दिनांक 30–10–2012 की अपील विहित अवधि में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, लेकिन अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त निर्णय

की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी, जब रेस्पोन्डेन्ट अपीलान्ट से कहने लगे की हम मुकदमा जीत गये हैं तो उसने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, किन्तु अधिवक्ता के सन्तुष्टिप्रद जवाब नहीं देने से अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो दिनांक 22–03–2017 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया है।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–10–2012 की मयाद 29–12–2012 होती है, जिसके करीब 4 वर्ष से भी अधिक समय बाद यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्टया मयाद बाहर है और इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन कराने के जो आधार अपीलान्ट द्वारा लिए गये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। अतएवं अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रत्यापत्ति पेश कर निवेदन किया कि उन्हें अपील संख्या 26/2017 की नकल दिनांक 08–08–2107 को प्राप्त हुई, जिससे क्रोस आब्जेक्शन 30 दिवस में प्रस्तुत कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपने काउण्टर क्लेम में समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गयी थी, जिसे नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

→ प्रकरण में हमारे द्वारा रेस्पोन्डेन्ट की प्रत्यापत्ति पर विचार किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे के साथ काउण्टर क्लेम आराजी नंबर 1528 व 1530 बाबत् प्रस्तुत किया गया था एवं कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही थी, जो स्पष्टया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर चाही गयी है। प्रकरण में नवीनतम न्यायिक नजीरों में माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय आर.आर.डी. दिनांक 14–06–2017 पेज 352 में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी कानून में खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं होने का

वर्णन किया है, तद्नुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट की प्रत्यापत्ति विधिक रूप से पोषणीय नहीं है एवं खारिज योग्य है।

उपरोक्तानुसार अपील की अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा रेस्पोन्डेन्ट की प्रत्यापत्ति विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

कुशाल पिता तलोक गाडरी, निवासी कोटडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **भैरूलाल पिता उदयराम गाडरी, निवासी कोटडी, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**26 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....30**.....माह.....**10**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अक्षय पालीवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एस.के. मेहता**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील की अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा रेस्पोन्डेन्ट की प्रत्यापत्ति विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।